	(ज) किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध जिसमें हिंसात्मक अथवा नैतिक भ्रष्टाचार का अपराध शामिल है, के लिए उसे दोषी सिद्ध किया गया हो और उसे कारावास की सजा, जिसकी अवधि तीन माह से कम की न हो, और रिहा होने के पश्चात पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो; (झ) ग्राम परिषद की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहा हो; (ञ) वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; (ट) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित किया गया हो; (ठ) तत्समय लागू किसी नियम के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्य करार दिया गया हो अथवा इस प्रकार अयोग्य रहने के दौरान किसी चुनाव के समय चुनावी अपराध किए हों; अथवा (ड) खण्ड (च) की शर्तों पर अथवा लोक सभा चुनाव के प्रयोजन हेतु तत्समय लागू किसी नियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो ।	
	14. यदि किसी व्यक्ति के धारा 4, धारा 7 अथवा 13 में निर्दिष्ट शर्तों पर अयोग्य ठहरने, पर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, उसे उपायुक्त के पास उनके निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा । परन्तु शर्त है कि ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय अभिलिखित किए जाने से पूर्व उप आयुक्त चुनाव आयोग की राय लेगा और उनके राय के अनुसार कार्य करेगा ।	अयोग्यता प्रश्न पर निर्णय
	15. (1) इस विनियम के तहत पहली बार ग्राम परिषद के गठन पर अथवा ग्राम परिषद की अवधि के समाप्त होने पर या इसके पुनर्गठन पर सहायक आयुक्त, सैकेंड कैप्टन के चुनाव जो ग्राम परिषद के चयनित उम्मीदवारों में किया जाएगा, के लिए बैठक बुलाएगा । (2) चुनाव, संबंधित सहायक आयुक्त की सीधी निगरानी में होगी, (3) जिसमें बैठक की अध्यक्षता, ग्राम परिषद के फर्स्ट कैप्टन करेगा जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा । (4) ऐसी बैठक में सैकेंड कैप्टन के चयन के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होगा ।	सैंकेंड कैप्टन का चुनाव